सूचना

प्रिय प्रशिक्षण प्रदातागण,

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का उद्देश्य युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण के तहत ताज़ा प्रशिक्षण प्रदान करना और लोगों के गैर-औपचारिक रूप से प्राप्त कौशल को रेकोग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) के तहत प्रमाणित करना है।

अल्पावधि प्रशिक्षण को क्रमशः केंद्र द्वारा प्रायोजित केंद्र द्वारा प्रबंधित (सीएससीएम) और केंद्र द्वारा प्रायोजित राज्य द्वारा प्रबंधित (सीएसएसएम) घटकों के अंतर्गत केंद्र और राज्य स्तर पर लागू किया जा रहा है। सार्वभौमिक कार्यक्षेत्र व्याप्ति सुनिश्चित करने के लिए, पीएमकेवीवाई (2016-2020) के तहत राज्य की सहभागिता के लिए दिशानिर्देशों के अनुबंध 1 के वर्णन के अनुसार, सीएससीएम घटक के अल्पावधि प्रशिक्षण के तहत 8,88,750 उम्मीदवारों के वार्षिक लक्ष्य को भौगोलिक रूप से वितरित किया गया है।

हमें खुशी है कि आप सभी ने स्मार्ट पोर्टल पर केन्द्र प्रत्यायन आवेदन पत्र (सीएएएफ) जमा कर भारत में एक कुशल कार्य बल के विकास और निर्माण में रुचि दिखाई है। इसके अलावा, प्रत्येक मान्यताप्राप्त और सम्बंधित केंद्र पीएमकेवीवाई (2016-2020) के तहत लक्ष्य आवंटन की अपेक्षा करता है, जैसा कि प्रत्यक्ष भेंट के दौरान और ईमेल के माध्यम से व्यक्त किया गया है।

हालांकि, कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रत्यायन, सम्बंधिकरण और प्रशिक्षण केंद्रों की निरंतर निगरानी हेतु दिशानिर्देशों के अध्याय 1 की अनुच्छेद 9 (डी) और अनुचीद 9.2 (सी) के संदर्भ में, टीसी का प्रत्यायन और सम्बंधिकरण पीएमकेवीवाई सहित सरकारी कौशल विकास योजनाओं के तहत लक्ष्य आवंटन की गारंटी नहीं देता है। हालांकि, जैसा कि कई प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा ईमेल और प्रत्यक्ष भेंट के माध्यम से सूचित किया गया है, हर मान्यता प्राप्त और सम्बंधित केंद्र पीएमकेवीवाई (2016-2020) के तहत लक्ष्य आवंटन की उम्मीद कर रहा है।

अनुबंध 1 में बताए गए क्षेत्र और भौगोलिक कार्यक्षेत्र व्याप्ति सुनिश्चित करने के लिए: पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों (2016-2020) की लक्ष्य आवंटन कार्यप्रणाली, एक विश्लेषण आयोजित किया गया है और यह पाया गया है कि प्रदत्त कौशल प्रशिक्षण कुछ राज्यों, जिलों, क्षेत्रों या नौकरी की भूमिकाओं पर केंद्रित है। लक्ष्य आवंटन के मामले में शीर्ष के 3 राज्य कुल लक्ष्य आवंटन का लगभग 37% है और लक्ष्य आवंटन के मामले में शीर्ष के 5 क्षेत्र कुल लक्ष्य आवंटन का लगभग 48% है। बड़े सार्वजनिक हित में, यह महत्वपूर्ण है कि प्रशिक्षण केंद्र पूरे देश भर में फैलें हुए हों ताकि प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न हो पाए। इसके अतिरिक्त, एक मांग चालित मॉडल की ओर एक समीक्षा की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशिक्षित कार्यबल विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण की असमान वितरण के कारण बेरोजगार न रह जाए।

इसके अलावा, निगरानी दौरों के आधार पर, यह पाया गया है कि 46% फ्रेंचाइजी केंद्र पीएमकेवीवाई (2016-2020) के दिशानिर्देशों और मान्यता के दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, हालांकि इन केन्द्रों की योजनाबद्ध निरीक्षण के दौरान सिफारिश की गई थी; इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता ख़राब हो सकती है; जिससे योजना के मुख्य उद्देश्य पर प्रभाव पर सकता है। इसके अलावा, पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों (2016-2020) के अध्याय 1 के खंड 1.5 के अनुसार, पीएमकेवीवाई के तहत प्रथम स्तर की फ्रेंचाइजिंग की अनुमति है, लेकिन फ्रेंचाइजिंग व्यवस्था को हतोत्साहित किया जाएगा और इसे कम प्राथमिकता दी जाएगी तथा धीरे-धीरे फ्रैंचाइजी व्यवस्था समाप्त करने की योजना बनाई गई है।

उपरोक्त के मद्देनजर, एक नीति निर्णय लिया गया कि पीएमकेवीवाई (2016-2020) के सीएससीएम घटक के अल्पावधि प्रशिक्षण के तहत निम्नलिखित वर्गों के केंद्रों पर लक्ष्य आवंटन अस्थायी रूप से रोका गया है तथा आगे की समीक्षा और विश्लेषण के आधार पर इसको संशोधित किया जा सकता है। लक्ष्य आवंटन पर इस अस्थायी रोक का उदेश्य वर्तमान में व्यवस्था में उपस्थित प्रमुख मुद्दों / चिंताओं / रिसावों को समझना और उनका विश्लेषण करना है, जिसके परिणामस्वरूप मान्यताप्राप्त और सम्बंधित केंद्रों में गैर-अनुपालन हो रहा है। हालांकि, नीचे दिए गए राज्यों और क्षेत्रों के अलावा लक्ष्य आवंटन जारी रहेगा:

- सभी फ्रैनचाईस केंद्र
- निम्नलिखित राज्यों में उपस्थित केंद्र:
  - उत्तर प्रदेश, हरयाणा और राजस्थान
- केंद्र जो निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए इच्छुक हैं:
  - वस्त्र/परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी-आईटीईएस, बीएफएसआई और दूरसंचार

राज्यों/क्षेत्रों आदि जिनके लक्ष्य आवंटन पर रोक है, उन पर अंतिम निर्णय जून 2017 के अंत से पहले लिया जाना अपेक्षित है।